Bihar Board Class 6 Social Science Civics Notes
Chapter 6 स्थानीय सरकार

पाठ का सारांश

गाँव की समस्या का समाधान स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है। इसकी सर्वोच्च संस्था पंचायत होती है। पंचायत का अर्थ होता है । पाँच पंचों की समिति । पंचायत का मुख्य उद्देश्य गाँवों की समस्याओं को दूर कर उन्हें उन्नत एवं आत्मनिर्भर बनाना । सार्वजनिक चीजों की देख-रेख कौन करेगा? ये जब खराब हो जाएँगे तो कौन ठीक करवायेगा ? इनकी सुरक्षा कौन करेगा? कोई व्यक्ति जबरदस्ती करे तो समस्या को कौन सुलझाएगा? इसलिए इस प्रकार की समराओं के निदान के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है।

बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना जनसंख्या के घनत्व के अधार पर की जाती है। वहाँ की जनसंख्या कम से कम 7.000 या उससे अधिक हो। पंचों का चुनाव का काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है । गाँव में एक मतदाता सूची होती है जिनमें उन्हीं लोगों के नाम होते हैं जो कम-से-कम 18 साल के हों तथा कम-से-कम 180 दिन तक उस क्षेत्र में रह रहे हों ।

मतदान ही वार्ड सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, पंच या सरपंच का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक हर तीन माह पर एक आम सभा की तरह होती है जो मुखिया के द्वारा बुलाई जाती है। यह बैठक पंचायत भवन में बुलाई जाती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किये जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं

- ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्राम सभा द्वारा चर्चा के बाद क्रियान्वयन करना।
- कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन, आदि को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण आवास पेयजल, सड़क, घाट, बिजली की व्यवस्था, बाजार एवं मेला इत्यादि का समुचित प्रबंध करना ।
- स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजनाओं में मदद करना।
- कुआँ, तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण।
- सहकारिता, कृषि भंडारण तथा बिक्री की व्यवस्था करना।

ग्राम पंचायत के आय के साधन – ग्राम पंचायत के आय के दो प्रमख स्रोत हैं। एक कर के रूप में जो वह खद लगाती है और दूसरा अनुदान के रूप में, जो सरकार द्वारा उसे मिलता है। उदाहरण के लिए पंचायत अपनी क्षेत्र की दुकानदारों से कर वसूल करती है। इसका खुद का स्रोत हैं और पंचायत के किसी भी जरूरी काम पर इसे खर्च किया जा सकता है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए या आवास योजना के लिए पंचायत को सरकार द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं।

हमारे देश में 6 लाख से भी अधिक गाँव हैं। उनकी समस्याओं को सुलझाना आसान काम नहीं है। गाँव में भी बेहतर व्यवस्था के लिए एक प्रशासन होता है। प्रत्येक पुलिस थाना का एक क्षेत्र होता है जिसमें चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि का केश (रपट) दर्ज करके थाना प्रशासनिक कार्रवाई करता है। गाँव के जमीन को

https://www.evidyarthi.in/

नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। हल्का कर्मचारी किसानों की भूमि कर कर जमा करवाता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। इसका काम अवलोकन कई लोग करते

बिहार राज्य कई जिलों में बँटा हुआ है। जमीन का लेखा-जोखा रखने हेतु जिलों को भी प्रखण्ड और अनुमण्डल में बाँटा गया है। जिला में सबसे ऊपर जिलाधिकारी उसके बाद उपसमाहर्ता (भूमि सुधार) अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक और अंत में हल्का कर्मचारी होता है।

नगर प्रशासन -गाँव की अपेक्षा शहरों की आबादी अधिक होती है इसलिए उनकी समस्याएँ भी अधिक होती हैं। शहरों में जनसंख्या के आधार पर स्थानीय प्रशासन का निर्माण किया जाता है। महानगरों के लिए महानगर. निगम, बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगरपालिकाएँ तथा कस्बाई शहरों के लिए पंचायत की स्थापना की गई है । हमारे बिहार राज्य । में कंवल नगर निगम, नगरपालिकाएँ तथा नगर-पंचायतें ही हैं।

बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। भागलपुर, दरभंगा, आरा तथा बिहार शरीफ में नगर-निगम की स्थापना 2006 में की गई थी। नगर की आबादी के अनुसार कई भागों में बाँटा गया है, जिसे वार्ड कहते हैं।

पटना नगर को 72 वार्डों में बाँटा गया है। सभी वार्डों में एक व्यक्ति चुनकर आते हैं जो वार्ड काउंसलर कहलाते हैं। इनका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। इसकी बैठक प्रत्येक माह होती है। निगम परिपद अपने सदस्यों में से एक महापौर एवं एक उपमहापौर चुनता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक का होता है ।

महापौर की अनुपस्थिति में उपमहापौर ही सारे कार्य को संभालता है। दूसरा अंग स्थायी समिति है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। यह समिति अधिकांश कार्यों का करती है। तीसरा अंग परामर्शदाता समितियाँ हैं जो सभी विषयों पर सलाह देती हैं। चौथा अंग नगर आयुक्त होता है जो नगर निगम के कर्मचारियों की देखभाल तथा नियुक्ति करता है।

पटना नगर-निगम के मुख्य कार्य

- जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य जैसे -पानी की व्यवस्था ।
- सार्वजनिक सुविधा के कार्य । जैसे – सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आदि ।
- विकास संबंधी कार्य । जैसे – सड़क बनाना, नालियाँ खुदवाना, सडकों पर प्रकाश व्यवस्था एवं वाहन ठहराव की व्यवस्था करना।
- शिक्षा संबंधी कार्य।
- प्रशासनिक कार्य। जैसे-जन्म-मृत्य पंजीयन आदि के कार्य ।
- अपातकालीन कार्य । जैसे – आग लगने पर बुझाना. बाद आने पर रोकने के प्रयास करना.।
- पर्यावरण सुरक्षा।
- विविध कार्य । जैसे-जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा बनाना, जनगणना की व्यवस्था आदि । इसी प्रकार अन्य शहरों में भी नगर परिषद् या नगर पंचायत परिषद् बनाकर काम किया जाता है।

https://www.evidyarthi.in/

इतने सारे कामों को करने के बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग-अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग सरकार द्वारा अनुदान से आता है। लोग जो कर (Tax) देते हैं। वह सरकार इस राशि को उपलब्ध कराती है।

अतः नगर-निगम के आय के साधन इस प्रकार हैं

- मकान एवं दुकान तथा अन्य आदि से प्राप्त कर ।
- सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान ।
- अन्य विभिन्न तरीकों से लिए जानेवाले शुल्क जैसे-होर्डिंग, मोबाइल टॉवर आदि।
- नगर-निगम कर्ज भी ले सकती है।

evidyarthi